

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 182]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 मई 2020—ज्येष्ठ 7, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 मई 2020

क्र. एफ-ए-3-29-2019-1-पाँच-(40).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 164 के साथ पठित मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2019 (जिसे इसके पश्चात् नियम कहा गया है), के नियम 9 के खंड (ग) और नियम 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-29-2019-1-पाँच (60) दिनांक 07 अगस्त, 2019, द्वारा बनाया गया, 21 अप्रैल, 2020 को उस तारीख के रूप में जिसको नियम के उक्त उपबंध प्रवृत्त होंगे, नियत करती है.

2. यह अधिसूचना दिनांक 28 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त समझी जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रत्नाकर झा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 मई 2020

क्र. एफ-ए-3-29-2019-1-पाँच-.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-29-2019-1-पाँच (40), दिनांक 28 मई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रत्नाकर झा, उपसचिव.